सं0–1 / सा0सु0 एन0एस0ए0पी0–05 / 2017 स0क0– 774

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक :– 06/06/2017

विषयः–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना में वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश मद में रू0 165740.00 लाख (एक हजार छः सौ सनतावन करोड़ चालीस लाख रूपये) तथा राज्यांश मद (Top-up) में रू0 35500.00 लाख (तीन सौ पचपन करोड़ रूपये) अर्थात कुल रू0 201240.00 लाख (दो हजार बारह करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के वृद्ध, विधवा एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन केन्द्रीय पेंशन योजनाएँ तथा मृत्यु अनुदान योजना कार्यान्वित हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 में (01 जुलाई, 2014 से) पेंशन योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा भी अंशदान किया जा रहा है। चालु वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू0 165740.00 लाख (एक हजार छः सौ सनतावन करोड़ चालीस लाख रूपये) तथा राज्यांश मद (Top-up) में रू0 35500.00 लाख (तीन सौ पचपन करोड़ रूपये) अर्थात कुल रू0 201240.00 लाख (दो हजार बारह करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र का बजट स्वीकृत है।

वित्त विभाग के पत्रांक–428 दिनांक–31.03.2017 द्वारा 2017–18 के लिए प्रावधानित राशि व्यय करने का निदेश है। उक्त प्रावधान के आलोक में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के केन्द्रांश मद में रू0 165740.00 लाख (एक हजार छः सौ सनतावन करोड़ चालीस लाख रूपये) तथा राज्यांश मद (Top-up) में रू0 35500.00 लाख (तीन सौ पचपन करोड़ रूपये) अर्थात कुल रू0 201240.00 लाख (दो हजार बारह करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्नरूपेण कॉलम–5 में अंकित विवरणी के अनुसार दी जाती है :–

रू0 लाख में

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	2017–18 में बजट उपबंध	स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (केन्द्रांश)	51-2235031010204	106613.07	106613.07
		51-2235031020202	7200.00	7200.00
		51-2235037890205	46313.96	46313.96
		51-2235037960201	5612.97	5612.97
2	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (राज्यांश–Top up)	51-2235031010304	24000.00	24000.00
		51-2235037890305	11500.00	11500.00
		कुल योग	**201240.00**	**201240.00**

कृ0पृ0उ0.........2/–.

27

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में यह राशि केन्द्रांश मद के सामान्य घटक में, बजट शीर्ष मांग सं0–51–समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–03–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष–101–राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, उप शीर्ष–0204–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), विपत्र कोड–51-2235031010204, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9182, विषय शीर्ष–0204.13.01–कार्यालय व्यय एवं 0204.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू0 106613.07 लाख (एक हजार छियासठ करोड़ तेरह लाख सात हजार रूपये) से विकलनीय होगा। राष्ट्रीय परिवार लाभ के सामान्य घटक में बजट शीर्ष मांग सं0–51–समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–03–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष–102–राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना, उप शीर्ष–0202–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), विपत्र कोड–51-2235031020202, पी0एफ0एम0एस कोड–9182, विषय शीर्ष–0202.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू0 7200.00 लाख (बहत्तर करोड़ रूपये) से विकलनीय होगा। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में, बजट शीर्ष माँग सं0–51–समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–03–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0205–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), विपत्र कोड सं0–51-2235037890205, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9182, विषय शीर्ष–0205.13.01–कार्यालय व्यय एवं 0205.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रु0 46313.96 लाख (चार सौ तिरसठ करोड़ तेरह लाख छियानवे हजार रूपये) से विकलनीय होगा। जनजातीय क्षेत्र उप योजना में, बजट शीर्ष माँग सं0–51–समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–03–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0201–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0), विपत्र कोड सं0–51-2235037960201, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9182, विषय शीर्ष–0201.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रु0 5612.97 लाख (छप्पन करोड़ बारह लाख सनतानवे हजार रूपये) से विकलनीय होगा।

राज्यांश मद (Top-up) में सामान्य घटक में, बजट शीर्ष मांग सं0–51–समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–03–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष–101–राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, उप शीर्ष–0304–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), विपत्र कोड–51-2235031010304, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9182, विषय शीर्ष–0304.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रू0 24000.00 लाख (दो सौ चालीस करोड़ रूपये) से विकलनीय होगा। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में, बजट शीर्ष माँग सं0–51–समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–03–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0305–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), विपत्र कोड सं0–51-2235037890305, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9182, विषय शीर्ष–0305.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि रु0 11500.00 लाख (एक सौ पन्द्रह करोड़ रूपये) से विकलनीय होगा।

कृ0पृ0उ0.......3/

3. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना होंगे जो कि योजना का क्रियान्वयन पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करायेंगे। सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो राशि की निकासी कर "सक्षम" (State Society for Ultra Poor & Social Welfare - SSUPSW) को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या उनके खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे। सक्षम द्वारा जिलों को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायी जायगी।

इसके अतिरिक्त कार्यलय व्यय मद की राशि प्राप्त आवंटन/उपावंटन के अन्तर्गत मुख्यालय/जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय/प्रखण्ड कार्यालय/नगर निकाय कार्यालय द्वारा भी आवश्यकतानुसार निकासी की जा सकेगी।

4. योजनावार एवं घटकवार, उप शीर्षवार एवं विषयवार प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकेगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत राशि सहायक अनुदान–गैर वेतन ईकाई (31–06) में प्रावधानित है। सक्षम द्वारा प्राप्त Pre-receipt Voucher के आधार पर पेंशन भुगतान में आवंटित राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म–42 पर की जायगी तथा इसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार महालेखाकार, बिहार को भेजा जाएगा। कार्यालय व्यय में आवंटित राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म–25 पर की जायगी।

6. योजना के व्यय में महालेखाकार के प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. वित्त विभाग के ज्ञापांक– एम.4–53/2007–3758/वि0 दिनांक–31.05.2017 द्वारा निर्गत संकल्प की कंडिका–8 में निहित निदेश के अनुसार पूर्व से संचालित इस योजना में प्रावधानित राशि की निकासी की स्वीकृति के लिए प्रशासी विभाग को प्रदत्त शक्ति के आलोक में यह आदेश निर्गत है।

8. वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि की निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार को भेजने की नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

9. इस स्वीकृति आदेश में संचिका सं0– 1/सा0सु0 एन0एस0ए0पी0–05/2017 के टिप्पणी पृष्ठ सं0...08../टि0 पर दिनांक–..01.06.2017..को माननीया विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

10. इस स्वीकृति आदेश में संचिका सं0–1/सा0सु0 एन0एस0ए0पी0–05/2017 के टिप्पणी पृष्ठ सं0–..08../टि0 पर दिनांक–05.06.2017 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

कृ0पृ0उ0.......4/

ज्ञापांकः–1 / सा0सु0 एन0एस0ए0पी0–05 / 2017 स0क0– 774 पटना, दिनांक– 06/06/2017
प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक / प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–1 / सा0सु0 एन0एस0ए0पी0–05 / 2017 स0क0– 774 पटना, दिनांक– 06/06/2017
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / वित्त आयुक्त, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, पटना / आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा एवं लेखा शाखा, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।
(राकेश)